



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 875  
प्रति,

दिनांक : 29/7/17

प्राचार्य,  
श्री अरिहंत कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एज्युकेशन  
51/1/2, बड़बड़, सैलाना रोड, ऑरो आश्रम के पास, रतलाम।

**विषय :** विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

**संदर्भ :-** महाविद्यालय का सम्बद्धता-निरंतरता आवेदन क्रमांक / 95, दिनांक 10.04.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.06.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि, श्री अरिहंत कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एज्युकेशन, रतलाम में सत्र 2017-18 से बी.कॉम.(आनर्स)-तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने एवं बी.सी.ए., बी.बी.ए., बी.एससी.(कम्प्यूटर विज्ञान), बी.कॉम.(कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन, फारेन ट्रेड, टैक्स प्रोजेक्टर एण्ड प्रेक्टिस / प्लेन), पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017-18 से बी.कॉम.(आनर्स)-तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता एवं बी.सी.ए., बी.बी.ए., बी.एससी.(कम्प्यूटर विज्ञान), बी.कॉम.(कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन, फारेन ट्रेड, टैक्स प्रोजेक्टर एण्ड प्रेक्टिस / प्लेन), पाठ्यक्रम की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर सशर्त प्रदान की जाये।


उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017-18 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.सी.ए.	60
02.	बी.बी.ए.	60
03.	बी.एससी.(कम्प्यूटर विज्ञान)	60
04.	बी.कॉम.(कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन)	60
05.	बी.कॉम.(फारेन ट्रेड)	60
06.	बी.कॉम.(टैक्स प्रोजेक्टर एण्ड प्रेक्टिस)	60
07.	बी.कॉम.(प्लेन)	60

शर्त :-01. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शेष शिक्षकों का चयन शिघ्र कराये।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव  
निरंतर...02

(3)

क(1)

कार्यालय आधुनिक उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुरा नवन भोपाल-462004

क्रमांक /254/आशिक्ष/संवह/11 भोपाल दिनांक

प्रति  
कुलसचिव  
विक्रम विश्वविद्यालय  
उज्जैन 400001

विषय- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24(D) एवं 25(एक)(V) एवं धारा 35(I) के अन्तर्गत अनुमति नवीन अशासकीय श्री अरिहत कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, रतलाम।  
संदर्भ- संस्था का आवेदन पत्र दिनांक 28.8.11

उपरोक्त विषयवस्तु संस्था का नाम श्री गुरु हरिकिशन शिक्षा समिति, रतलाम द्वारा नवीन अशासकीय श्री अरिहत कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, रतलाम को सत्र 2011-12 से दिन्नानुसार प्रकार/ पाठ्यक्रम प्राप्त करने हेतु अनुमति/अनुशास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है-

- विषय/ पाठ्यक्रम
1. बीएफएम-प्रथम-सत्र/कम्प्यूटर एप्लीकेशन, टेक्स प्रोसेसर एवं फॉर्मेट (अति.वि)
  2. बीएससी-प्रथम-सत्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आरपीए/कम्प्यूटर साइंस (अति.वि)
  3. बीएससी-प्रथम
  4. बीएससी-प्रथम
- 2/ संस्था द्वारा संबद्धता हेतु आवेदन के पूर्व निम्न पृष्ठों को भेजा जाये -  
(अ) संस्था की कॉलेज कोड 28 के अन्तर्गत नियुक्तियों आवश्यक रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करे।  
(ब) संस्था को अगले सत्र में व्याख्यात कर्मी की संख्या में वृद्धि करना अनिवार्य होगा।
- 3/ विश्वविद्यालय संबद्धता देने के पूर्व उक्त विन्दु की पूर्ति सुनिश्चित कर ले, अन्यथा यह अनुमति स्वयं निरस्त मानी जावेगी।
- 4/ उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं होने की स्थिति में यह अनुमति/अनुशास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- 5/ अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे। संस्था द्वारा कोई अनसत्य जानकारी देने की स्थिति में अनुमति स्वयं अमान्य मानी जावेगी।  
(आधुनिक उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक-28/8/11

क्रमांक 399 /254/आशिक्ष/संवह/11  
प्रतिलिपि-सुप्रान्त में योग्य अधिकारक कार्यवाही हेतु

1. मुख्य सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इंदौर उज्जैन साधन इंदौर
3. प्राचार्य अग्रणी अशासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम।
4. कक्षा/सचिव श्री गुरु हरिकिशन शिक्षा समिति, 67 अरावा की कुई, रतलाम। संस्था अपनी वेबसाइट निर्मित कर उस पर जारी अनुमति एवं विश्वविद्यालय की संबद्धता अनिवार्य रूप से प्रकाशित करे।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

SECRETARY 13.

Shri Guru Harikishan Shiksha  
Samverdhan Samiti, RATLAM

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

सतपुडा मवन, भोपाल-462004

क्रमांक 1028/801/आउशि/संबद्धता/12 भोपाल, दिनांक- 28/2/2013

प्रति,  
कुल सचिव,  
विक्रम विश्वविद्यालय,  
उज्जैन (M.P.)।

विषय: मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24(Xii) एवं (क)(V) एवं धारा 35(J) के अन्तर्गत अनुमति-अशासकीय श्री अरिहंत कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन, रतलाम।  
संदर्भ: संस्था का आवेदन पत्र दिनांक 30.11.12

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत श्री गुरु हरिकिशन शिक्षा संवर्धन समिति, रतलाम द्वारा संचालित अशासकीय श्री अरिहंत कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन, रतलाम को सत्र 2013-14 के लिये निम्न विषय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है:-

निम्न/पाठ्यक्रम

1. बी०काम०-द्वितीय-प्लेन/अति०वि०-कम्प्युटर एप्लीकेशन, फारेन देड, टेक्स प्रोसीजर
  2. बी०बी०ए०-द्वितीय
  3. बी०सी०ए०-द्वितीय
  4. बी०एससी-द्वितीय(आ०प०, भौतिक, गणित, रसायन)/अति०वि०-कम्प्युटर साइंस।
- 2/ संस्था से संबद्धता हेतु आवेदन के पूर्व निम्न पूर्तियाँ कराई जावे :-  
अ) संस्था कालेज कोड 28 के अन्तर्गत नियुक्तियों आवश्यक रूप से कर ले।  
ब) संस्था को सत्र 2012-13 की आडिट रिपोर्ट 02 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3/ विश्वविद्यालय संबद्धता देने के पूर्व उक्त बिन्दु की पूर्ति सुनिश्चित कर ले, अन्यथा यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 4/ उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं होने की स्थिति में यह अनुमति/अनुशंसा प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- 5/ अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे। संस्था द्वारा कोई असत्य जानकारी देने की स्थिति में अनुमति स्वमेव अमान्य मानी जावेगी।  
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,  
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश  
भोपाल, दिनांक 28/2/13

पृष्ठा क्रमांक 1029/801/आउशि/संबद्धता/12  
प्रतिलिपि:-सूचनाार्थ व योग्य आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा, विभाग भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम।
4. प्राचार्य, अशासकीय श्री अरिहंत कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन, रतलाम।  
कृपया महाविद्यालय की वेबसाइट पर कार्यालय की अनुमति एवं विश्वविद्यालय की संबद्धता दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहें।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,  
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

SECRETARY  
Shri Guru Harikishan Shiksha  
Samvardhan Samiti, RATLAM

P485.1

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन  
संतपुडा सभन, भोपाल-462004

क्रमांक 328 / 960 / आउशि / संबद्धता / 13  
प्रति

भोपाल, दिनांक 20/2/14

शुभ सचिव,  
विक्रम विश्वविद्यालय,  
उज्जैन

विषय: मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24(Xii) एवं (एक)(V) एवं धारा 35(I) के अन्तर्गत अनुमति-अशासकीय श्री अरिहंत कालेज ऑफ प्रोफेशनल एज्युकेशन, रतलाम।  
संदर्भ: संस्था का आवेदन पत्र दिनांक 20.12.2013

—00—

परिचय: संस्थागत श्री गुरु हरिकेशन शिक्षा संवर्द्धन समिति, रतलाम द्वारा संचालित अशासकीय श्री अरिहंत कालेज ऑफ प्रोफेशनल एज्युकेशन, रतलाम, को सत्र 2014-15 के लिये निम्न विषय/पाठ्यक्रम प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-  
विषय/पाठ्यक्रम

1. बी.कॉम-तृतीय वर्ष-लेन(अति.वि.)-कम्प्यूटर एप्लीकेशन, फारेन ट्रेड, एवं टेक्स प्रोसीजर,
  2. बी.बी.ए.-तृतीय वर्ष,
  3. बी.सी.ए.-तृतीय वर्ष,
  4. बी.एससी.-तृतीय वर्ष-आठपाठ भौतिक, गणित, रसायन, (अति.वि.)-कम्प्यूटर साइंस,
2. निम्न पूर्तियां समयावधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-  
(अ) दो माह में संस्था को सत्र 2013-14 की आडिट रिपोर्ट ।  
(ब) 15 दिवस में समिति के नाम से वर्ष 2013-14 की खसरा तथा बी-1 की प्रति ।
- 3/ विश्वविद्यालय संबद्धता देने के पूर्व आर्जेज कोर्ट-23 में निवृत्ति की पूर्ति सुनिश्चित कर ले, अन्यथा यह अनुमति स्वयंभू निरस्त नहीं जावेगी ।
- 4/ संस्था के विषय/पाठ्यक्रम द्वारा अतिरिक्त अधीनस्थों की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं जावेगी ।
- 5/ अशासकीय महाविद्यालय से संबन्धित सामान्य शर्तें एवं नियम स्थापित रहेंगे। संस्था द्वारा कोई असत्य जानकारी देने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वयंभू अमान्य गनी जावेगी ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,  
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश  
भोपाल, दिनांक 20/2/14

क्रमांक 321 / 960 / आउशि / संबद्धता / 13  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ व योग्य आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उज्जैन, सभाग उज्जैन।
3. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम।
4. प्राचार्य, अशासकीय श्री अरिहंत कालेज ऑफ प्रोफेशनल एज्युकेशन, रतलाम।

SECRETARY  
Shri Guru Harikishan Chiksha  
Samverdhan Samiti, RATLAM

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,  
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश